

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 24/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/36

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना-कुचामन।		श्री गोविन्द सिंह पुत्र भागीरथ सिंह, मैसर्स श्री करणी कार सर्विस सेन्टर, निवासी डीडवाना रोड, लाडनूं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में
जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित:-


1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री ओमेन्द्र कुमार।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री जयवीर सिंह।

—:आदेश:—

दिनांक : 17.03.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध धारा
6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में
निम्न प्रकार है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1)
खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध
भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 19.02.2025 को
श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, मकराना, श्री ओमेन्द्र कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक,
कुचामन, सुश्री मनीषा गुर्जर, परबतसर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मैसर्स करणी कार सर्विस
सेन्टर पर आकस्मिक जाँच हेतु पहुंचे। मौके पर श्री गोविन्द सिंह पुत्र भागीरथ सिंह,
निवासी डीडवाना रोड, लाडनूं उपस्थित मिलें, जिन्होंने मैसर्स करणी कार सर्विस
सेन्टर डीडवाना रोड लाडनूं निरीक्षण करवाया। मौके पर घरेलू गैस को गैस रिफिलिंग
मोटर से वाहनों में भरने का कार्य किया जाना बताया है। श्री गोविन्द सिंह पुत्र
भागीरथ सिंह से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी
प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ काने पर इनके पास घरेलू गैसके
भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व
अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री गोविन्द सिंह द्वार किसी प्रकार के आवश्यक
दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये गये 03 घरेलू
गैस सिलेण्डर मय 32.4 किग्रा व 01 गैस रिफिलिंग मोटर को अवैध माना गया। मौके
पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:-


जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	भरे सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस (कॉलम 4-5)
1	IOCL	420934-P	29.7	15.5	14.2 किग्रा
2	IOCL	001195-E	29.7	15	14.2 किग्रा
3	IOCL	00745-S	20.8	16.8	4 किग्रा

उपरोक्त एक रिफिलिंग मोटर मय 02 पाईप (4 व 10 फीट लम्बाई) जिनके दोनों सिरों पर रिफिलिंग नोजल लगे है व 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर प्रबन्धक श्री अदरिश खान पुत्र श्री मुराद खान प्रतिनिधि मैसर्स गैस सर्विस लाडनू के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री गोविन्द सिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस व एक रिफिलिंग मोटर मय 02 पाईप (4 व 10 फीट लम्बाई) को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री जयवीर सिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी अपने रहवासी मकान में नीचे कार एलाईमेन्ट व एस.सी. गैस का काम करता है एव उपर अप्रार्थी का रहवास है। प्रार्थी संयुक्त परिवार में रहता है एवं उक्त पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त सिलेण्डर विधि पूर्वक नियमों व निर्देश के अनुसार गैस ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त किये हुए है। जिसके संबंध में प्रार्थी के स्वयं की गैस डायरी घरेलु गैस कनेक्शन नम्बर CX 7240728422 की उपलब्ध है। जिसके माध्यम से उक्त गैस सिलेण्डर लिये गये थे। अप्रार्थी की जब्त सुदा स्थल पर कार एलाईनमेन्ट व एस.सी. गैस फिलिंग हेतु मोटर रखी हुई थी। जो कि अप्रार्थी का व्यवसाय है। परन्तु उक्त जब्त सुदा सिलेण्डर का कभी भी व्यवसायिक रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि उक्त जब्त सुदा सिलेण्डर घरेलु कनेक्शन की डायरी से घरेलु उपयोग में लिया जा रहा था।

वहस सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री गोविन्द सिंह द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 03 व एक रिफिलिंग मोटर मय 02 पाईप को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय 02 पाईप घरेलु गैस सिलेण्डर को मैसर्स गैस सर्विस लाडनू के प्रतिनिधि श्री अदरिश खान को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय 02 पाईप (4 व 10 फीट लम्बाई) पाए गए। जांच के समय श्री गोविन्द सिंह के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञाप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञाप्ति रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय 02 पाईप (4 व 10 फीट लम्बाई) मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक रिफिलिंग मोटर मय 02 पाईप (4 व 10 फीट लम्बाई) मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन